भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1208

जिसका उत्तर 31 जुलाई, 2023 को दिया जाना है।

.....

राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण कार्यक्रम

1208. श्री नीरज शेखरः

श्री राम नाथ ठाकुरः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड के राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण कार्यक्रम (एनएक्यूयूआईएम) के अंतर्गत भूजल में आर्सेनिक जैसे जहरीले पदार्थों के संदूषण सहित भूजल की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दे रही है;

(ख) यदि हां, तो एनएक्यूयूआईएम के अंतर्गत शुरू की गई परियोजनाओं का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान आज की तारीख तक, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों के विशेष संदर्भ में, इस संबंध में आबंटित की गई, जारी की गई और उपयोग की गई निधि का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टुडु)

(क): केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) ने भूमि जल प्रबंधन एवं विनियमन (जीडब्ल्यूएम एंड आर) योजना के अंतर्गत जलभृत मानचित्रण एवं प्रबंधन कार्यक्रम (एनएक्यूआईएम) शुरू किया है जिसका उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी से जलभृत/क्षेत्र विशेष भूजल प्रबंधन योजनाएं तैयार करने के लिए जलभृतों (जल वहन करने वाली संरचनाओं) के स्वरूप और उनके लक्षणों को निरूपित करना है। इसके अलावा, एनएक्यूआईएम के अंतर्गत भूजल गुणवत्ता अर्थात आर्सेनिक, नाइट्रेट, फ्लोराइड, आयरन आदि जैसे विषाक्त पदार्थों द्वारा जलभृतों के संदूषण की स्थिति का भी अध्ययन किया जाता है।

इसके अलावा, सीजीडब्ल्यूबी अपने भूजल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के भाग के रूप में निगरानी किए गए कुओं के माध्यम से क्षेत्रीय स्तर पर समय-समय पर पूरे देश के भूजल गुणवत्ता आंकड़ों को तैयार करता है।

(ख): जीडब्ल्यूएम एंड आर योजना के अंतर्गत किए जा रहे प्रमुख कार्यकलापों में संपूर्ण देश में जलभृत मानचित्रण (एनएक्यूआईएम) और सीजीडब्ल्यूबी के अन्य कार्यकलापों जैसे नियमित आधार पर आर्सेनिक संदूषण सहित भूजल स्तर और गुणवत्ता निगरानी, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से सक्रिय भूजल संसाधनों का समय-समय पर आकलन, कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भूजल निकासी का विनियमन और नियंत्रण, चयनित जल की कमी वाले क्षेत्रों में कुछ प्रदर्शनात्मक पुनर्भरण परियोजनाएं शुरू करना, प्रौद्योगिकी को अपग्रेढ करने के लिए वैज्ञानिक अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण आदि शामिल हैं।

एनएक्यूआईएम का प्रमुख कार्य देश भर की भूमिगत जलभृत प्रणाली का मानचित्रण करना और इसके सतत उपयोग के लिए इसके प्रबंधन संबंधी कार्यों का सुझाव देना है। देश के लगभग 33 लाख वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल में से, लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल को सीजीडब्ल्यूबी (एनएक्यूआईएम के तहत) द्वारा मानचित्रण योग्य चिह्नित किया गया था, जिसे 31 मार्च 2023 से पहले ही पूरा कर लिया गया है।

एनएक्यूआईएम के अंतर्गत सृजित सूचना (भूजल गुणवत्ता आंकड़ों सहित) को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया जाता है जिससे कि विभिन्न केन्द्रीय/राज्य योजनाओं के अंतर्गत उपयुक्त कार्यकलापों को किया जा सके। पेयजल और स्वच्छता विभाग के अंतर्गत जल जीवन मिशन (जेजेएम) एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है जिसका कार्यान्वयन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से गुणवत्ता प्रभावित बसावटों सहित वर्ष 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पीने योग्य जल की आपूर्ति के लिए किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, सीजीडब्ल्यूबी ने आर्सेनिक सुरक्षित गहरे जलभृत क्षेत्रों की पहचान की है और एनएक्यूआईएम कार्यक्रम के अंतर्गत पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के हिस्सों में नवीनतम सीमेंट सीलिंग तकनीक का उपयोग करते हुए आर्सेनिक सुरक्षित कुओं का निर्माण किया गया है। अब तक, एनएक्यूआईएम के अंतर्गत आर्सेनिक सुरक्षित जलभृतों का दोहन करने वाले 522 पर्यवेक्षी कुओं (बिहार में 40, पश्चिम बंगाल में 188 और उत्तर प्रदेश में 294) का निर्माण (मार्च, 2022 तक) किया गया है और संबंधित राज्यों को उपयोग के लिए सौंप दिया गया है। इसके अलावा, नवीनतम सीमेंट सीलिंग तकनीक को उनके उपयोग हेतु राज्यों के साथ साझा किया गया है।

(ग): एनएक्यूआईएम सहित उपर्युक्त भाग (ख) में यथा उल्लिखित विभिन्न कार्यकलाप शुरू करने के लिए जीडब्ल्यूएम और आर योजना के अंतर्गत देश भर में निधियां आबंटित की गई हैं और उपयोग में लाई गई हैं। इसके अलावा, सीजीडब्ल्यूबी बिहार और झारखंड दोनों की देखरेख करने वाले एक सामान्य क्षेत्रीय और मंडल कार्यालय के माध्यम से सभी कार्यों को करता है और इसलिए, बिहार और झारखंड को संयुक्त रूप से और उत्तर प्रदेश को आवंटन/व्यय की गई निधियों को नीचे दिया गया है।

क्र.सं.	वित्त वर्ष	राज्य	आवंटन(करोड़ रू.)	वास्तविक व्यय (करोड़ रू.)
1	2022-23	बिहार और झारखंड	9.90	6.60
		उत्तर प्रदेश	20.77	13.93
2	2023-24 (30 जून, 2023 तक)	बिहार और झारखंड	8.40	1.20
		उत्तर प्रदेश	14.69	1.11

***